Broad gauge line for Khamgaon and Amraoti Stations (Central Railway)

1186. SHRI VASANT SATHE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government had received proposals for diversion of broad gauge lines on Central Railway to bring Khamgaon and Amraoti on broad gauge lines;

(b) if so, when were the proposals received, the estimated cost of the project and the decision taken by Government in the matter; and

(c) in view of the growing importance of Khamgaon and Amraoti as commercial and industrial centres, whether Government are considering incorporation of the proposal in the Fifth Plan?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) to (c). There is no proposal under consideration at present to carry out the proposed diversion which will increase the length by about 11 kms. In view of the very limited availability of funds, it may not be possible to take up the proposed diversion in the 5th Five Year Plan.

Existence of Dumex and Pfizer as two separate companies

1187. SHRI BHALJIBHAI PARMAR: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether M/s Dumex and Pfizer were existing as two separate companies at any time or Dumex came earlier and Pfizer purchased them, if so, in which year and whether administrative Ministry approved such a purchase;

(b) whether change in the name of the firm was endorsed on the industrial licences of M/s Dumex and if so, why some of the products of this company bear the name 'Dumex' and some other bear the name of 'Pfizer';

(c) what is the production during last three years of product range of Dumex and Pfizer, separately, item-wise giving official approval number and date against each item; and

(d) under what name and style the company/companies under this group function?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI): (a) M/s. Dumex was incorporated as a Private limited company on 21st November, 1950. The approval of the Government was accorded under the Indian Companies Act 1913 and the company was registered in Bombay on 21st November, 1950. The name of the Company was charged from M/s. Dumex to M/s. Pfizers Limited on 1st June, 1961 and a certificate of incorporation was issued by the Registrar of Companies, Bombay.

(b) and (c). The licences issued to M/s. Dumex were rendered in the name of M/s. Pfizers on its re-incorporation as M/s. Pfizers. It is being checked up as to now some of the products of this company bear the name 'Dumex' and some others bear the name of 'Pfizer'. Item-wise production figures for last three years of product range of Dumex and Pfizer separately with official approval number and date for each item are being collcted. This data, when collected, will be laid on the Table of the House.

(d) so far as Government is aware, this company is functioning under the name of 'Pfizer Ltd." only. However, exact position about the name and style is being ascertained. This information will also be laid on the Table of the House as early as possible.

कानूनी किताबों, नियमों तथा विनियमों का हिन्दी अनुवाद

1188. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महत्वपूर्ण कानूनी पुस्तकों, नियमों तथा विनियमों का हिन्दी में अनुवाद करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या चालू वर्ष के लिए इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य रखा गया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद) (क) उन 13 विधि पुस्तकों की बाबत, जिनको विधि के गौरव ग्रन्थ का दर्जा प्राप्त हो गया है, अनुवाद अधिकार प्राप्त करने के लिए विदेशी प्रकाशकों के साथ किए जाने वाले करारों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है। इन पुस्तकों के अनुवाद का कार्य उन करारों पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात ही प्रारम्भ होगा। 411 केन्द्रीय अधिनियमों, 53 अध्यादेशों और 279 कानूनी नियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं। 123 केन्द्रीय अधिनियमों, 27 अध्यादेशों और 36 कानूनी नियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ प्रकाशनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त 208 केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवादों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और ये मुद्रण के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं।

(ख) ऐसी विधि पुस्तकों के, जिनको विधि के गौरव ग्रन्थ का दर्जा प्राप्त हो गया है, हिन्दी में अनुवाद किए जाने के बारे में कोई लक्ष्य नियत नहीं किया गया है। किन्तु सभी कानूनी नियमों के हिन्दी में अनुवाद को विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा करने के लिए एक स्कीम पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे लाइन का श्रीनगर तक बढ़ाया जाना

1189. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर तक रेलवे लाइन को बढ़ाने के बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन क्या है और क्या कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). बड़ी लाइन का जम्मू से ऊधमपुर तक विस्तार करने और श्रीनगर के रास्ते बारामूला से काजीकुंड तक एक नयी बड़ी लाइन/मीटर लाइन बनाने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किये जा चुके हैं। जम्मू से ऊधमपुर तक 56 कि० मी० लम्बी लाइन पर 40.65 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है और उसके खुल जाने के छठे वर्ष में उससे 0.50 प्रतिशत प्रतिफल मिलेगा। बारामूला से काजीकुण्ड तक 122 35 कि० मी० लम्बे प्रस्तावित मार्ग पर बड़ी लाइन बिछाने पर 78 63 करोड़ रुपये और मीटर लाइन बिछाने पर 71 33 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। मीटर लाइन पर (—) 0 88 प्रतिशत और बड़ी लाइन पर (—) 0 80 प्रतिशत प्रतिफल मिलने का अनुमान लगाया गया है।

रेलवे बुक-स्टालों पर अश्लील साहित्य की बिक्री

1190 **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को गत वर्ष यह शिकायत मिली थी कि रेलवे के कतिपय बुक-स्टाल निकृष्ट और अश्लील साहित्य की बिक्री को प्रोत्साहन दे रहे हैं,

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में किसी बुक-स्टाल के विरुद्ध कार्यवाही की है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।